वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

पृ0कमांक :प्रशा–डी–तीन–10271/402 दिनांकः 16/05/2024

सेवा में

उप, वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 2.23 ha. of forest land for Laying Natural Gas Pipeline across Forest Lands from NH 352 upto Patiala Chowk and Patiala Chowk to Narwana under forest Division and District Jind, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/60527/2020

संदर्भः आपका पत्र कमांक 9-HRB054/2022-CHA दिनांक 18.08.2023।

––

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी स्टेज–I स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मदवाईज निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :–

1–5. प्रस्ताव में सी0ए0 स्कीम अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड व अन्य चार्जिज सहित कुल 2135849/– रूपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है। ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस **"Paid"** होने उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है ।

6. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा केम्पा (स्टेट अथोरिटी), पंचकुला से अण्डरटेकिंग के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस शर्त को फाईनल स्वीकृति में शामिल करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त स्टेज–I 2B की शर्तो से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज–II स्वीकृति बारे आगामी कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।
15/05/24

225

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) सोनीपत ऑफिस : सीजीडी, ससोनीपत-जींद जी ए खसरा नं. 96/4, 5, 6, 7, दिल्ली से अम्बाला राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 44, निकट 58 माईल स्टोन, गांव बढ़ी, जिला सोनीपत-131101 (हरियाणा)

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISES) SONIPAT OFFICE : CGD SONIPAT-JIND, GA, KHASRA NO. 96/4, 5, 6, 7, DELHI TO AMBALA NH-44, NEAR 58TH MILE STONE, VILLAGE BARHI, TALUKA-BARHI-SONIPAT-131101 (HR)
E-MAIL : abhimayudas@hpcl.in M +91 9425153117

UNDERTAKING

विषय :- **Diversion of 2.23 ha. Of forest land for laying Natural Gas Pipeline across Forest Lands from NH 352 upto Patiala Chowk and Patiala Chowk to Narwana under forest division and district Jind, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Pipeline/60527/2020).**

संदर्भ :- राज्य वनविभाग द्वारा पत्र न. **9-HRB054/2022-CHA** दिनांक:- अगस्त 2023 **&** वन मण्डल अधिकारी पत्र न. **F-I-554/3007** दिनांक 30. 10. 2023

वन मण्डल अधिकारी पत्र न. **F-I-554/3007** दिनांक 30. 10. 2023 द्वारा जारी डिमांड नोट की राशि एजेंसी द्वारा वन विभाग की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से **CAMPA Fund** मे जमा करा दी गई है जिसका विवरण **RTGS UTR No. SBINR52024011295744878 dated 12/01/2024** है। ओर नीचे दिये गए सभी शर्तों का एजेंसी पूर्ण रूप से पालन करेगी ।

i. वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष/पौधे नहीं काटे जायेंगे और वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा |
iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वनभूमि ***Compartment No. H43Q67, Jind Sonipat Railway Line from Lalit Khera village to Ludana village L&R Side, District Jind*** में **4460** पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |
iv. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे |
v. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वनमंडल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे|
vi. राज्य सरकार वनभूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी |
vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
viii. माननीय उच्तम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
ix. इस प्रस्ताव को **99** वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी|
x. पाइप लाइन जमीन के **1.5** मीटर नीचे बिछाई जाएगी और पाइप लाइन डालने के बाद जमीन को समतल किया जाएगा।
xi. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा|
xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी |
xiii. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा |
xiv. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|
xv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
xvi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।

C.G.D. ★ Hindustan Petroleum Corporation Ltd. G.A. Sonipat-Jind

xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना केअनुसार किया जायेगा |

xviii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xx. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

xxi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

For Hindustan Petroleum Corporation Limited

Abhimanyu Das
Ch. Magr – Projects, Sales & O&M,
HPCL CGD Sonipat – Jind

229 53 137

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT. 2006

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT: Diversion of 2.23 hec. of forest land for Laying Natural Gas Pipeline across Forest lands from NH 352 upto Patiala Chowk and Patiala Chowk to Narwana under Forest Division & District Jind (Hry.)

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recored population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

5/3/21

Divisional Forest Officer,
Jind.

Divisional Forest Officer
Forest Division
Jind

Deputy Commissioner,
Jind.

(Full Name and official seal of the District Collector)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-01-2024

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD, SONIPAT - JIND CGD
Application No.	7260527461
MoEF/SG File No.	9-HRB054-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	HPCL CGD Sonipat-Jind, C/o HPCL Regional Office, E-22, Industrial Area, Court Road, PanipatSonipat
Amount(in Rs)	2135849/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Thirty-Five Thousand Eight Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150697260527461 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-01-2024

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD, SONIPAT - JIND CGD
Application No.	7260527461
MoEF/SG File No.	9-HRB054-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	HPCL CGD Sonipat-Jind, C/o HPCL Regional Office, E-22, Industrial Area, Court Road, Panipat Sonipat
Amount(in Rs)	2135849/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Thirty-Five Thousand Eight Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150697260527461 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

RTGS UTR NO – SBINR52024011295744878

Dated – 12/01/2024